संख्या-220/2025/828/41-2-2025-CN-**1908420**

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 29 मार्च**,** 2025

विषय-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-24-मा**0** कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान**,** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3000/मा0कां0प0प्र0सं0-(पुनर्विनियोग)/2025**,** दिनांक 24.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0 44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-22-उ0प्र0 देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद-20- सहायता अनुदान-सामान्य **(**गैर वेतन) मद में हो रही बचत रू0 41.00 लाख से अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80**-**सामान्य-800-24-मा0 कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान**,** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद हेतु रू0 41.00 लाख (रू0 इकतालिस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0 44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-22-उ0प्र0 देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद-20- सहायता अनुदान-सामान्य **(**गैर वेतन) मद में हो रही बचत रू0 41.00 लाख से अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80**-**सामान्य-800-24-मा0 कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान**,** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद हेतु रू0 41.00 लाख (रू0 इकतालिस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-आई/923242/41-2-2025-CN-1908420, दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रु0 41.00 लाख (रू0 इकतालिस लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2025 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20242025-41-2-2025-CN-1908420-2

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से ''लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-24-मा0 कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808002200 (उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद्)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	41,03,000 रुपये इकतालीस लाख तीन हजार मात्र	41,03,000 रुपये इकतालीस लाख तीन हजार मात्र	41,00,000 रुपये इकतालीस लाख मात्र	41,00,000 रुपये इकतालीस लाख मात्र	3,000 रुपये तीन हजार मात्र	2024-2025
कुल					₹ 41,00,000	₹ 41,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808002400 (मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,58,97,000 रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख सत्तानबे हजार मात्र	41,00,000 रुपये इकतालीस लाख मात्र	41,00,000 रुपये इकतालीस लाख मात्र	1,99,97,000 रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख सत्तानबे हजार मात्र	2024-2025
कुल				₹ 41,00,000	₹ 41,00,000		

उपरोक्त पुनर्विनियोग धनराशि निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-22-उ0प्र0 देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 41.00 लाख की बचत सम्भावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-24-मा0 कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान,सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध धनराशि का उपभोग कर लिया गया है, जिसके सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

4- वित्तीय वर्ष 2024-25 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आंकलित है।

संख्या:RE-budget-1-890-E-7-429-X-2024-25-दिनांक:29-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0 प्रयागराज

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मंजीत सिंह)
अनु सचिव।

संख्या - आई/923242/828/41-2-2025-CN-1908420-2, दिनांक 29 मार्च, 2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।